US-222
29/3/22

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य संरक्षा विभाग, 8वीं मंजिल,
मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01

सं.एफ 231(18)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2022/7300 दिनांक– 25/03/22

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषय– दिनांक 29/03/2022 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्र.सं. 222 का उत्तर।

महोदय,

इस विभाग को उपरोक्त विषय में मेल द्वारा भेजे गए विधानसभा प्रश्न दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें। प्रश्नों के उत्तर की वांछित 100 एवं 150 प्रतियॉ निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

यह सूचना माननीय स्वस्थ मंत्री की स्वीकृति से जारी है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सतीश कुमार गुप्ता)
पदनामित अधिकारी, खाद्य संरक्षा विभाग

सं.एफ 231(18)/डीओएफएस/मिस./विधानसभा/2022/ दिनांक–

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, ब्लॉक नं.–9, दिल्ली (प्रश्नों के उत्तर की 150 प्रतियॉ संलग्न है)

(सतीश कुमार गुप्ता)
पदनामित अधिकारी, खाद्य संरक्षा विभाग

Scanned by TapScanner

विभाग का नाम : खाद्य संरक्षा विभाग

विभाग का पता : आठवां तल मयूर भवन क्नॉट प्लेस नई दिल्ली 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या : 222 अतारांकित

दिंनाक : 29/03/2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जय भगवान

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>बवाना विधानसभा में बिना लाइसेंस वाली दुकानों व कारोबारियों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;</td><td>भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत खाद्य संरक्षा विभाग ने लाइसेंस/पंजीकरण शिविरों का अयोजन किया है। जिससे की अधिक से अधिक खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/पंजीकरण के अर्न्तगत लाया जा सके।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>बवाना विधान–सभा में कितने दुकानदारों के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस है; और</td><td>विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व जिलों में बाटॉ गया है और बवाना विधानासभा क्षेत्र जिला उत्तर एवं जिला उत्तर–पश्चिम में आता है। अतः लाइसेंस/पंजीकरण का वर्गीकरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>जिला</th><th>तहसील</th><th>लाईसेंस</th><th>पंजीकरण</th></tr>
<tr><td rowspan="3">उत्तर</td><td>मॉडल टॉउन</td><td>2591</td><td>4193</td></tr>
<tr><td>नरेला</td><td>1576</td><td>1225</td></tr>
<tr><td>अलीपुर</td><td>1771</td><td>1151</td></tr>
<tr><td rowspan="3">जिला उत्तर–पश्चिम</td><td>सरस्वती विहार</td><td>2531</td><td>5050</td></tr>
<tr><td>रोहिणी</td><td>4131</td><td>9632</td></tr>
<tr><td>कंझावला</td><td>831</td><td>1105</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग</td><td>फुड सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या–क्या चीजें आती है?</td><td>फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में खाद्य पदार्थ आते हैं जिनका विवरण खाद्य संरक्षा कानून में दिया गया है। जो संलग्न (क) है।</td></tr>
</table>

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licenssing Authority
Deptt. of Food Safety
(Govt. of NCT of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi-110001

Scanned by TapScanner

अनुलग्नक (क)

(ञ) "खाद्य" से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह प्रसंस्कृत है, या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत है या अप्रसंस्कृत है, जो मानव उपभोग के लिए आशयित है और जिसके अन्तर्गत खंड (यट) में परिभाषित सीमा तक प्राथमिक खाद्य, आनुवंशिक रूप से उपांतरित या निर्मित खाद्य या ऐसे संघटकों से युक्त खाद्य, शिशु खाद्य, पैक किया गया पीने का जल, अल्कोहाली पेय, चिविंगम, तथा कोई अन्य पदार्थ हैं, जिसके अन्तर्गत खाद्य के विनिर्माण, निर्माण या उपचार के दौरान प्रयुक्त किया गया जल भी है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई पशु खाद्य, जीवित पशु तब तक, जब तक कि उन्हें मानव उपभोग के लिए बाजार में लाने हेतु तैयार या प्रसंस्कृत नहीं किया जाता, कटाई से पूर्व पौधे, औषधि और औषधीय उत्पाद, प्रसाधन सामग्री, स्वापक या मन:प्रभावी पदार्थ नहीं हैं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य वस्तु को, उसके उपयोग, प्रकृति, सार या क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य घोषित कर सकेगी;

(ट) "खाद्य योज्यक" से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जिसका सामान्यत: स्वयं किसी खाद्य के रूप में उपभोग नहीं किया जाता है या जिसे खाद्य के विशिष्ट संघटक के रूप में उपयोग में लाया जाता है चाहे उसका पोषक मूल्य है या नहीं, ऐसे खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या धारण करने में प्रौद्योगिक (जिसके अन्तर्गत आर्गेनोलैप्टिक भी है) प्रयोजन के लिए खाद्य में जिसके साशय मिश्रण के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षत: या परोक्षत: या युक्तियुक्त रूप से निर्माण की संभावना है या जिसका उपोत्पाद ऐसे खाद्य का संघटक बन जाता है, उसका निर्माण होता है या ऐसे खाद्य की विशेषताओं को अन्यथा प्रभावित करता है किन्तु इसके अन्तर्गत खाद्य में पोषक क्वालिटियों को बनाए रखने या उनमें सुधार करने के लिए मिलाए गए "संदूषक" या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं;

(ठ) "खाद्य विश्लेषक" से धारा 45 के अधीन नियुक्त विश्लेषक अभिप्रेत है;

(ड) "खाद्य प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ढ) "खाद्य कारबार" से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है, चाहे वह लाभ के लिए है या नहीं और चाहे वह सार्वजानिक है या प्राइवेट, जो खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आयात के किसी प्रक्रम से संबंधित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप कर रहा है और इसके अन्तर्गत खाद्य सेवाएं, जलपान सेवाएं, खाद्य या खाद्य संघटकों का विक्रय भी है;

(ण) खाद्य कारबार के संबंध में, "खाद्य कारबार कर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कारबार किया जाता है या जिसका वह स्वामी है तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है;

(त) "खाद्य प्रयोगशाला" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(थ) "खाद्य सुरक्षा" से यह आश्वासन अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आशयित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है;

(द) "खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा" से यह अवधारित करने के लिए कि क्या ऐसे उपाय और संबंधित परिणाम खाद्य सुरक्षा और उस निमित्त किए गए दावों के उद्देश्यों को पूरा करते हैं विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की क्रमबद्ध और क्रियात्मक रूप से स्वंतत्र जांच अभिप्रेत है;

(ध) "खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध प्रणाली" से अच्छी विनिर्माण पद्धतियों, अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियों, परिसंकट विश्लेषण और संकटकालीन नियंत्रण केन्द्र तथा अन्य ऐसी पद्धतियों, जो खाद्य कारबार के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, का अपनाया जाना अभिप्रेत है;

(न) "खाद्य सुरक्षा अधिकारी" से धारा 37 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "परिसंकट" से खाद्य में ऐसा कोई जैविक, रासायनिक या भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था अभिप्रेत है, जो प्रभावी रूप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कारित करता है;

(फ) "आयात" से किसी खाद्य पदार्थ को भारत में भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा लाना अभिप्रेत है;

(ब) "सुधार सूचना" से इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन जारी की गई सूचना अभिप्रेत है;

(भ) "शिशु-खाद्य" और "शिशु दुग्ध अनुकल्प" के वही अर्थ हैं, जो उनके शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु-खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमश: खण्ड (च) और खण्ड (छ) में हैं;

(म) "संघटक" से कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत खाद्य के विनिर्माण या निर्मिति में प्रयुक्त कोई खाद्य योज्यक भी है और जो अन्तिम उत्पाद में, संभवत: उपान्तरित रूप में, विद्यमान है;

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licenssing Authority
Deptt of Food Safety
(Govt of NCT of Delhi)
8th Floor Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi 110001

Scanned by TapScanner